

मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय
//आदेश//

भोपाल दिनांक 9 /09/2026

क्रमांक 6/2/0080/2026-ESTB-FWAD :- इस विभाग के आदेश क्रमांक 1/1/3/0003/ 2026-Sec-1-14(AGR) दिनांक 13.07.2026 द्वारा उप संचालक(क्षे/वि), किसान कल्याण तथा कृषि विकास संवर्ग के अधिकारियों को संयुक्त संचालक(क्षे/वि), किसान कल्याण तथा कृषि विकास के पद पर वेतनमान रूपये 15600-39100+7600 ग्रेड-पे (म.प्र. वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 में विनिर्दिष्ट पे-मेट्रिक्स लेवल-14) (सातवां वेतनमान 79900-211700) में पदोन्नत किया गया।

अतः राज्य शासन एतद द्वारा निम्नलिखित अधिकारियों को पदोन्नति उपरांत अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक निम्नलिखित तालिका के कॉलम-4 में दर्शित स्थल पर पदस्थ करता है:-

क्र.	अधिकारी का नाम एवं पदनाम	वर्तमान कार्यालय	पदोन्नति उपरांत पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री मनोहर सिंह देवके, संयुक्त संचालक	उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, जिला बुरहानपुर	संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास नर्मदापुरम संभाग, नर्मदापुरम
2	श्री राजेश चतुर्वेदी, संयुक्त संचालक	म.प्र. राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था, भोपाल	संचालनालय, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, भोपाल
3	श्री जितेन्द्र कुमार सिंह, संयुक्त संचालक	प्रभारी संयुक्त संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास इन्दौर संभाग, इन्दौर	संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास इन्दौर संभाग, इन्दौर
4	श्री जितेन्द्र सिंह परिहार, संयुक्त संचालक	संचालनालय, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, भोपाल	संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास शहडोल संभाग शहडोल
5	श्री यू.एस.तोमर, संयुक्त संचालक	संचालनालय, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, भोपाल	संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास ग्वालियर संभाग, ग्वालियर
6	श्री रामलाल जामरे, संयुक्त संचालक	उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला शाजापुर	संचालनालय, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, भोपाल
7	डॉ. सुशील कुमार निगम, संयुक्त संचालक	संचालनालय, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, भोपाल	संचालनालय, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, भोपाल
8	श्री आलोक कुमार मीणा, संयुक्त संचालक	प्राचार्य, कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण केन्द्र, सत्राठी जिला खरगौन	संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, भोपाल संभाग, भोपाल
9	श्री रामसेवक शाक्यवार, संयुक्त संचालक	प्राचार्य, कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण केन्द्र मुरैना	संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास चंबल संभाग, मुरैना

b

क्र.	अधिकारी का नाम एवं पदनाम	वर्तमान कार्यालय	पदोन्नति उपरांत पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
10	श्री केशव सिंह खपेडिया, संयुक्त संचालक	संचालनालय, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, भोपाल	संचालनालय, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, भोपाल
11	श्री कमल कुमार जैन, संयुक्त संचालक	संचालनालय, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, भोपाल	संचालनालय, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, भोपाल
12	डॉ. आनन्द कुमार बड़ोनिया, संयुक्त संचालक	संचालनालय, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, भोपाल	म.प्र. राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था, भोपाल (सेवायें प्रतिनियुक्ति पर सौपी जाकर)
13	डॉ. अजय कुमार कौशल, संयुक्त संचालक	प्रभारी कुल सचिव, राजामाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर म.प्र.	प्रभारी कुल सचिव, राजामाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर म.प्र.
14	श्री बंडू सिंह जमरा, संयुक्त संचालक	परियोजना संचालक आत्मा समिति, उज्जैन	संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास रीवा संभाग, रीवा
15	श्री संजय दोषी, संयुक्त संचालक	उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, जिला डिण्डौरी	संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास सागर संभाग, सागर
16	श्री रामपाल सिंह नायक, संयुक्त संचालक	प्रभारी संयुक्त संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास उज्जैन संभाग, उज्जैन	संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास उज्जैन संभाग, उज्जैन

प्रमाणित किया जाता है कि म०प्र० लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन 1994) तथा म०प्र० लोकसेवा पदोन्नति नियम 2025 के उपबंधों और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा उसे उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है।

उपरोक्त समस्त पदोन्नतियां माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित विशेष अनुमति याचिका क्रमांक 13954/2016 तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा भविष्य में पारित किये जाने वाले आदेशों के अध्याधीन होगी।

जिन पदोन्नत शासकीय सेवकों को इस आदेश द्वारा स्वीकृत वेतनमान अथवा इससे उच्च वेतनमान पूर्व में समयमान वेतनमान योजना के अंतर्गत स्वीकृत किया जा चुका है उन्हें छोड़कर शेष शासकीय सेवकों को म०प्र० लोकसेवा पदोन्नति नियम 2025 के नियम 13 अनुसार आदेश प्राप्त होने की तिथि से एक माह के भीतर वेतन निर्धारण संबंधी विकल्प प्रस्तुत करना होगा।

शासन आदेश क्र. 1/1/3/0003/2026-Sec-1-14(AGR) दिनांक 13.07.2026 के द्वारा पदोन्नत अधिकारियों के विरुद्ध कोई ऐसा प्रकरण संज्ञान में आता है जिससे पदोन्नति प्रभावित हो, तो ऐसी परिस्थिति में पदोन्नत आदेश स्वमेव निरस्त माने जावें एवं नियंत्रण अधिकारी, पदोन्नत आदेश को हस्तगत न कराते हुये मूलतः शासन को वापस करेंगे।

पदस्थी स्थल पर एक माह के अंदर उपस्थित होना अनिवार्य है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(अवनीश मिश्रा)

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी

मध्यप्रदेश शासन

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

भोपाल, दिनांक 09/09/2026

पृष्ठां. क्रमांक 6/2/0080/2026-ESTB-FWAD
प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहायक, मान. मंत्रीजी, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, भोपाल।
2. स्टाफ ऑफीसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, म.प्र. शासन, भोपाल।
3. अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन सामान्य प्रशासन विभाग/वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
4. महालेखाकार, ग्वालियर म.प्र.।
5. प्रमुख सचिव/सचिव, जनसंपर्क विभाग, मंत्रालय भोपाल।
6. निज सहायक, सचिव, म.प्र. शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय।
7. सचिव, म.प्र. लोकसेवा आयोग, इंदौर म.प्र.।
8. संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, भोपाल।
9. आयुक्त, भोपाल/नर्मदापुरम/इंदौर/उज्जैन/सागर/शहडोल/रीवा/चंबल/ग्वालियर संभाग म.प्र.।
10. कलेक्टर, जिला भोपाल/नर्मदापुरम/इंदौर/उज्जैन/सागर/शहडोल/रीवा/मुरैना/ ग्वालियर म.प्र.
11. कुलसचिव, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर म.प्र.
12. प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था, भोपाल (म.प्र.)
13. संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास संभाग समस्त म.प्र.।
14. उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास समस्त म.प्र.
15. परियोजना संचालक आत्मा समिति,समस्त म.प्र.।
16. प्राचार्य कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण केन्द्र,समस्त म.प्र.।
17. संबंधित कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय..... म.प्र.।
18. संबंधित अधिकारीगण(द्वारा अनुक्रमांक 8)
19. आदेश फोल्डर

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी

मध्यप्रदेश शासन

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग